

राजस्थान सरकार  
श्रम विभाग

क्रमांक एफ.2(5)स.पा./श्रम/97/

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राज्य सरकार समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, (केन्द्रीय अधिनियम 1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.2(5)सं.पा./श्रम/85/893 दिनांक 9.3.2000 को अधिष्ठित करते हुए निम्नानुसार करती है:-

1. श्रम मंत्री, राजस्थान	—	अध्यक्ष
2. श्रम राज्य मंत्री, राजस्थान	—	उपाध्यक्ष
3. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन	—	सदस्य
4. आयुक्त, श्रम एवं नियोजन	—	सदस्य
5. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग	—	सदस्य
6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग	—	सदस्य
7. संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग(महिला)	—	सदस्य
8. क्षेत्रीय निदेशक, श्रमिक शिक्षा केन्द्र, जयपुर	—	सदस्य
9. निदेशक, श्रमिक विद्यापीठ, जयपुर	—	सदस्य
10. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा, विधायक	—	सदस्य
11. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल विधायक	—	सदस्य
12. श्रीमती वंदना मीणा विधायक	—	सदस्य
13. श्रीमती सूर्यकांता व्यास विधायक	—	सदस्य
14. श्रीमती नीतू वर्मा, जिला प्रमुख झालावाड	—	सदस्य
15. श्रीमती जसकौर मीणा, भूतपूर्व सांसद, अनुराग रिसोर्ट, सवाईमाधोपुर	—	सदस्य
16. श्रीमती विमला सेठिया, चित्तौडगढ	—	सदस्य
17. श्रीमती मंजू शर्मा, जयपुर	—	सदस्य
18. श्रीमती सरिता विश्णोई, श्रीगंगानगर	—	सदस्य
19. श्रीमती सुमन भटनागर, कोटपुतली	—	सदस्य
20. श्रीमती सुमन विलिया, बुन्दी	—	सदस्य
21. श्रीमती सुमन शर्मा, पूर्व पार्षद, जयपुर	—	सदस्य
22. डॉ० कमला, गोखरू, अजमेर	—	सदस्य
23. श्रीमती उषा मीणा, भूतपूर्व सांसद, जयपुर	—	सदस्य

राज्यपाल के आदेशानुसार,

(बजरंग लाल)

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं  
पदेन शासन उप सचिव(श्रम),  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.2(5)स.पा./श्रम/97/

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ ।
2. विशिष्ट सहायक, श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, श्रम राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त श्रम आयुक्त, राजस्थान ।
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर ।
8. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर ।
9. संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग(महिला) जयपुर ।
10. क्षेत्रीय निदेशक, श्रमिक शिक्षा केन्द्र, जयपुर
11. निदेशक, श्रमिक विद्यापीठ, जयपुर
12. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा, विधायक
13. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल विधायक
14. श्रीमती वंदना मीणा विधायक
15. श्रीमती सूर्यकांता व्यास विधायक
16. श्रीमती नीतू वर्मा, जिला प्रमुख झालावाड
17. श्रीमती जसकौर मीणा, भूतपूर्व सांसद, अनुराग रिसोर्ट, सवाईमाधोपुर
18. श्रीमती विमला सेठिया, चित्तौडगढ श्रीमती मंजू शर्मा, जयपुर
19. श्रीमती सरिता विश्णोई, श्रीगंगानगर श्रीमती सुमन भटनागर, कोटपुतली
20. श्रीमती सुमन विलिया, बुन्दी
21. श्रीमती सुमन शर्मा, पूर्व पार्षद, जयपुर
22. डॉ० कमला, गोखरू, अजमेर
23. श्रीमती उषा मीणा, भूतपूर्व सांसद, जयपुर ।

(सी०बी०एस०राठौड)

संयुक्त श्रम आयुक्त(आई०आर०)

एवं पदेन सहायक शासन सचिव(श्रम)

राजस्थान, जयपुर ।

राजस्थान सरकार  
श्रम विभाग

क्रमांक:एफ.1(8)(5)(4)टेका / श्र.स.म. / पुनर्गठन / पार्ट / 95 /  
दिनांक: 30.11.2004

जयपुर,

अधिसूचना

राज्य सरकार राजस्थान टेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) नियम, 1971 के नियम 3 के साथ पठित टेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सदस्यों को, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राजस्थान राज्य टेका श्रम सलाहकार मण्डल में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करती है, अर्थात् :-

धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त

1. श्रम मंत्री अध्यक्ष

—

धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त

2. आयुक्त, श्रम एवं नियोजन विभाग — पदेन सदस्य

राजस्थान टेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) नियम, 1971 के नियम 3 के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त

3. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग — सदस्य (राज्य सरकार के प्रतिनिधि)

राजस्थान टेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) नियम, 1971 के नियम 3 के खण्ड (घ) के अधीन नियुक्त

4. सचिव, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना — सदस्य (ई.गा.न.प.के प्रतिनिधि)

राजस्थान टेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) नियम, 1971 के नियम 3 के खण्ड (ङ.) के अधीन नियुक्त

5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग — सदस्य (सा.नि.वि. में नियोक्ताओं के प्रतिनिधि)

6. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग — सदस्य (सिंचाई विभाग में नियोक्ताओं के प्रतिनिधि)

7. श्री माणक चन्द रांका – सदस्य (ठेकेदारों के प्रतिनिधि)  
 “निर्माण” मकडवाली रोड, अजमेर  
 राजस्थान ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) नियम, 1971 के नियम 3 के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त
8. श्री राजाराम कश्यप – सदस्य (सा.नि.वि. के श्रमिकों के प्रतिनिधि)  
 के.आर. 91 सिविल लाईन्स, कोटा
9. श्री संजीव कुमार पाराशर – सदस्य (ई.गा.न.प.के श्रमिकों के प्रतिनिधि)  
 रामपुरा बस्ती गली नं.-1 लालगढ़, बीकानेर
10. श्री प्रभाष चौधरी – सदस्य (सिंचाई विभाग के श्रमिकों के प्रतिनिधि)  
 नई शाम की सब्जी मण्डी, भोपालगंज, भीलवाड़ा
11. श्री बाबूलाल राजावत – सदस्य (ठेकेदारों के श्रमिकों के प्रतिनिधि)  
 राजावत भवन, श्रीरामनगर टेम्पो स्टैण्ड के पास, कोटा
12. श्री दिवाकर शर्मा – सदस्य (ठेकेदारों के श्रमिकों के प्रतिनिधि)  
 42, पटेल कालोनी, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

संयुक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) मुख्यालय, जयपुर सलाहकार मण्डल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बजरंग लाल)  
 अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं  
 पदेन उप शासन सचिव(श्रम)  
 राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ.1(8)(5)(4)ठेका/श्र.स.म./पुनर्गठन/पार्ट/95/  
 दिनांक: 30.11.2004

जयपुर,

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
2. उप सचिव (एम), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।

3. विशिष्ट सहायक, श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, सिंचाई मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, श्रम राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
13. उप शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सहायक, अतिरिक्त श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
15. सचिव, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचाई विभाग, जयपुर।
16. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
17. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
18. श्री माणक चन्द रांका, निर्माण मकडवाली रोड़, अजमेर।
19. श्री राजाराम कश्यप, के. आर. 91, सिविल लाईन्स, कोटा।
20. श्री संजीव कुमार पाराशर, रामपुरा बस्ती गली न.-1, लालगढ़, बीकानेर।
21. श्री प्रभाष चौधरी, नई शाम की सब्जी मण्डी भोपालगंज, भीलवाडा।
22. श्री बाबूलाल राजावत, राजावत भवन, श्रीरामनगर टेम्पो स्टेण्ड के पास, कोटा।
23. श्री दिवाकर शर्मा, 42, पटेल कालोनी, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

(सी.बी.एस.राठोड)  
संयुक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.)  
एवं सहायक शासन सचिव,  
राजस्थान, जयपुर।

## श्रम विभाग

क्रमांक:एफ.6(14)ढेका/95/  
दिनांक:

जयपुर,

### अधिसूचना

ढेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 5(1) सपडित राजस्थान ढेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) नियम, 1971 के नियम 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्थान ढेका श्रम सलाहकार मण्डल की दिनांक 22.12.2004 को सम्पन्न बैठक में लिए निर्णय की अनुपालना में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1. श्रम आयुक्त, राजस्थान – अध्यक्ष
2. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि – सदस्य
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि – ---”---
4. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि – ---”---
5. मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर अथवा उनके प्रतिनिधि – ---”---
6. अध्यक्ष, एम्पलायर्स एसोसियेशन ऑफ राजस्थान, जयपुर – ---”---
7. अध्यक्ष, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज, जयपुर – ---”---
8. अध्यक्ष, सी.आई.आई., जयपुर – ---”---
9. श्री देव प्रकाश सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा ( निजी क्षेत्र से ढेकेदार के प्रतिनिधि) – ---”---
10. श्री श्याम लाल माथुर इंटक यूनियन के प्रतिनिधि – ---”---
11. श्री डी.के.छंगाणी, एटक यूनियन के प्रतिनिधि – ---”---
12. श्री हनुमान सहाय शर्मा, बी.एम.एस. यूनियन के प्रतिनिधि – ---”---
13. श्री रविन्द्र शुक्ला, सीटू यूनियन के प्रतिनिधि – ---”---
14. श्री विश्वामित्र ओझा, एच.एम.एस. यूनियन के प्रतिनिधि – ---”---
15. अध्यक्ष, आर.सीटू यूनियन – ---”---
16. श्रीमती शांति देवी बेनीवाल, साहू नगर, सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाईमाधोपुर (महिला ढेका श्रमिकों की प्रतिनिधि) – ---”---
17. संयुक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.), राजस्थान, जयपुर – सदस्य  
सचिव

यह समिति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ठेका श्रमिकों की स्थिति की जांच करेगी तथा अधिनियम की धारा 10(2) में वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच रिपोर्ट मय सिफारिशों के राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बजरंग लाल)  
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं  
पदेन उप शासन सचिव(श्रम)  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ.6(14)ठेका / 95 /  
दिनांक:

जयपुर,

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ताजन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।
8. अध्यक्ष, एम्पलायर्स एसोसियेशन ऑफ राजस्थान, जयपुर।
9. अध्यक्ष, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज, जयपुर।
10. अध्यक्ष, सी.आई.आई., जयपुर।
11. श्री देव प्रकाश सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा।
12. श्री श्याम लाल माथुर इंटक प्रतिनिधि, 130 कैलाशपुरी सांघी फार्म, टोंक रोड, जयपुर।
13. श्री डी.के.छंगाणी, एटक प्रतिनिधि, स्वामी कुमारानन्द भवन, हथरोई किले के पास, जयपुर।
14. श्री हनुमान सहाय शर्मा, बी.एम.एस. प्रतिनिधि, 42 सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
15. श्री रविन्द्र शुक्ला, सीटू प्रतिनिधि, बी-4 एम.एल.ए. क्वार्टर्स, जयपुर।
16. श्री विश्वामित्र ओझा, एच.एम.एस. प्रतिनिधि, 626/24, जादमभवन नारीशाला रोड, शक्तिनगर, अजमेर।
17. अध्यक्ष, आर.सीटू हथरोई, जयपुर।
18. श्रीमती शांति देवी बेनीवाल, साहू नगर, सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाईमाधोपुर (महिला ठेका श्रमिकों की प्रतिनिधि)
19. संयुक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.), मुख्यालय, जयपुर।

(सी.बी.एस.राठोड)  
संयुक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.)  
एवं सहायक शासन सचिव,  
राजस्थान, जयपुर।

## राजस्थान सरकार श्रम विभाग

क्रमांक: एफ.5(2)श्रम/99  
दिनांक:

जयपुर,

### अधिसूचना

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 11) की धारा 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग द्वारा सलाहकार मण्डल का गठन करने संबंधी पूर्व प्रसारित अधिसूचना दि० 1.5.99 के अधिक्रमण में राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रयोजनार्थ सलाहकार मण्डल का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है:-

### स्वतंत्र सदस्य

- |   |           |
|---|-----------|
| 1 <sup>प</sup> शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान,<br>जयपुर | — अध्यक्ष |
| 2 <sup>प</sup> आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर            | — सदस्य   |
| 3 <sup>प</sup> शासन विशिष्ट सचिव (वित्त विभाग) जयपुर          | — सदस्य   |
| 4 <sup>प</sup> निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर      | — सदस्य   |
| 5 <sup>प</sup> निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर                    | — सदस्य   |

### नियोक्ता प्रतिनिधि

1. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
2. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर (श्रम संबंधी)
3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
5. सहायता विभाग, राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव से कम स्तर का अधिकारी न हो
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर
7. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान, जयपुर

8. राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज, जयपुर
9. अध्यक्ष, एक्पलॉयर्स एसोसियेशन ऑफ राजस्थान, जयपुर
10. फ़ैडरेशन ऑफ एसोसियेशन ऑफ स्माल इण्डस्ट्रीज जयपुर का एक प्रतिनिधि
11. श्री प्रेम बियानी, फ़ैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इन्डस्ट्रीज, जयपुर।

## श्रमिक प्रतिनिधि

1. श्री बाबूलाल राजावत, भारतीय मजदूर संघ, कोटा
2. श्री प्रभाष चौधरी, भारतीय मजदूर संघ, भीलवाडा
3. श्री आर.के.गौतम, भारतीय मजदूर संघ, जयपुर
4. श्री देवकीनन्दन शर्मा, भारतीय मजदूर संघ, उदयपुर
5. संयुक्त महामंत्री, इन्टक, उदयपुर
6. मंत्री राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, राजस्थान शाखा
7. अध्यक्ष, ग्रामीण मजदूर कांग्रेस इन्टक
8. महासचिव, एटक, राजस्थान
9. महासचिव, सीटू, राजस्थान
10. राजस्थान ट्रेड यूनियन केन्द्र जोधपुर
11. हिन्द मजदूर सभा का एक प्रतिनिधि
12. श्री सुबुद्धिलाल, ग्राम अलपुर पोस्ट हिंगोट तहसील बसवा, जिला दौसा-असंगठित क्षेत्र के प्रतिनिधि

संयुक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.), राजस्थान इस सलाहकार मण्डल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

राजस्थान सरकार  
श्रम विभाग

क्रमांक एफ.2(11)स्था.श्रम.समिति / 75 /

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

श्रम विभाग द्वारा पूर्व प्रसारित अधिसूचना क्रमांक 14005-28 दि.12.10.2000 को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय स्थाई श्रम समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. श्रम मंत्री       | अध्यक्ष   |
| 2. श्रम राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |

**राजकीय प्रतिनिधि**

1. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
3. शासन सचिव, विशिष्ट योजना संगठन, जयपुर।
4. शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. शासन सचिव, उर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर

**नियोजक प्रतिनिधि**

1. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
2. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।(श्रम संबंधी)
3. अध्यक्ष राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज, जयपुर।
4. अध्यक्ष राजस्थान फ़ैडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्डस्ट्रीज, जयपुर
5. अध्यक्ष एम्पलायर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, जयपुर
6. अध्यक्ष, फ़ैडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इन्डस्ट्रीज, जयपुर।

**श्रमिक प्रतिनिधि**

1. मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस राजस्थान, जयपुर
2. महासचिव, एटक, राजस्थान, जयपुर
3. संयुक्त महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ
4. महासचिव, सीटू, राजस्थान, जयपुर
5. महामंत्री, हिन्द मजदूर सभा, राजस्थान, जयपुर।

**अन्य क्षेत्रों से**

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, कोटा
2. श्री ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व विधायक
3. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, जयपुर

4. श्री ओमप्रकाश ढूढ सवाईमाधोपुर।
5. श्री मदन लाल सैनी, एडवोकेट, सीकर

राज्यपाल के आदेश से,

(बजरंग लाल)  
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं  
पदेन उप शासन सचिव(श्रम),  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ.2(11)स्था.श्रम.समिति / 75 /

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

24. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
25. विशिष्ट सहायक, श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
26. निजी सचिव, श्रम राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
27. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
28. निजी सचिव, शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
29. निजी सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट योजना संगठन, जयपुर।
30. निजी सचिव, शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर
31. निजी सचिव, शासन सचिव, उर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर
32. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
33. निजी सहायक, अतिरिक्त श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
34. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
35. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।(श्रम संबंधी)
36. अध्यक्ष राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज, जयपुर।
37. अध्यक्ष राजस्थान फ़ैडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्डस्ट्रीज, जयपुर
38. अध्यक्ष एम्पलायर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, जयपुर
39. अध्यक्ष, फ़ैडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इन्डस्ट्रीज, जयपुर।
40. मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस राजस्थान, जयपुर
41. महासचिव, एटक, राजस्थान, जयपुर
42. संयुक्त महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ
43. महासचिव, सीटू, राजस्थान, जयपुर

44. महामंत्री, हिन्द मजदूर सभा, राजस्थान, जयपुर।
45. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, कोटा
46. श्री ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व विधायक
47. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, जयपुर
48. श्री ओमप्रकाश ढूढ सवाईमाधोपुर।
49. श्री मदन लाल सैनी, एडवोकेट, सीकर

(सी.बी.एस.राठौड)  
संयुक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.)  
एवं पदेन सहायक शासन सचिव(श्रम),  
राजस्थान, जयपुर।